



प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल

"चयन भवन", मेन रोड नं.1 चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल-462011

क्रमांक/पीईबी/विधि/60/ /2020

भोपाल, दिनांक

आदेश

पी.ई.बी. के आदेश क्रमांक/व्हीपी/एसी/1-7/02-09/2017 1613 दिनांक 07.04.2011, आदेश क्रमांक 608, दिनांक 7903 दिनांक 19.12.2016, आदेश क्रमांक 18.60 दिनांक 14.03.2017, आदेश क्रमांक 2764 दिनांक 05.05.2017, आदेश क्रमांक 6067 दिनांक 24.02.2018, आदेश क्रमांक 608 दिनांक 30.01.2020 को निरस्त करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर तथा स्थानीय न्यायालय, भोपाल हेतु नवीन अधिवक्ता पैनल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

स.क्र.	माननीय न्यायालय का नाम	अधिवक्ता का नाम
01	सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली	1-श्री राजुल श्रीवास्तव, अधिवक्ता 2-सुश्री अनुराधा मिश्रा, अधिवक्ता
02	उच्च न्यायालय जबलपुर	1-श्री पुष्पेंद्र यादव, अधिवक्ता 2-श्री राहुल दिवाकर, अधिवक्ता 3-श्री आदित्य खांडेकर, अधिवक्ता 4-श्री सिद्धार्थ सुधीर शर्मा, अधिवक्ता 5-श्री जगत सिंह, अधिवक्ता 6-श्री विजेंद्र चौधरी, अधिवक्ता 7-श्री आदित्य प्यासी, अधिवक्ता 8-श्री पीयूष धर्माधिकारी, अधिवक्ता 8-श्री तबरेज शेख, अधिवक्ता 9-श्री सुदीप चटर्जी, अधिवक्ता 10-श्री गुलाबकली पटेल, अधिवक्ता 11-श्री रामसुफल वर्मा, अधिवक्ता 12-श्री अमित सेठ, अधिवक्ता 13-श्री ललित जोगलेकर, अधिवक्ता 14-सिद्धार्थ शर्मा, अधिवक्ता
03	उच्च न्यायालय खंडपीठ, इंदौर	1-श्री पुष्प मित्र भार्गव, अधिवक्ता 2-श्री कौशुभ पाठक, अधिवक्ता 3-श्री मनु महेश्वरी, अधिवक्ता
04	उच्च न्यायालय खंडपीठ, ग्वालियर	1-श्री प्रवीण नेवषकर, अधिवक्ता 2-श्री विवेक जैन, अधिवक्ता
05	स्थानीय न्यायालय, भोपाल	श्री संतोष शर्मा, अधिवक्ता

शर्त:-

(1) पैनल में सम्मिलित उपरोक्त अधिवक्ताओं को पीईबी में वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार विधिक शुल्क का भुगतान किया जायेगा। जबाबदावा प्रस्तुत करने पर 50 प्रतिशत एवं निर्णय उपरांत शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा।

(2) बोर्ड के लिये गठित अधिवक्ता पैनल के अधिवक्ताओं द्वारा ऐसे प्रकरण जिनमें बोर्ड एक पार्टी है प्रतिरक्षण की कार्यवाही करते समय उनमें प्रतिपक्ष की ओर से याचिका/पक्ष समर्थन इत्यादि नहीं किया जायेगा।

(3) यदि बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के द्वारा प्रकरण में जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है एवं उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अधिवक्ता के पैरवी करने की पुष्टि नहीं होती है तो विधिक शुल्क का भुगतान नहीं किया जावेगा।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

संचालक
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड
भोपाल

निरंतर....

पृ० क्रमांक / पीईबी / विधि / 60 / 2886 / 2020

भोपाल, दिनांक 16/09/2020

प्रतिलिपि:-

1-अध्यक्ष, पी.ई.बी.भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत।

2-श्री पुरुषेन्द्र कौरव, महाधिवक्ता, मान.उच्च न्यायालय जबलपुर (म.प्र.)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3-निज सहायक संचालक, पी.ई.बी.भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत।

4-अपर संचालक, पी.ई.बी.भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत।

5-श्री.....

अधिवक्ता,.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

6-विधि शाखा प्रभारी, पी.ई.बी.भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत।

7-कम्प्यूटर शाखा की ओर सूचनार्थ एवं पीईबी की वेबसाइट, ई-आफिस पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।

संचालक
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड
भोपाल